Sardar Patel Subharti Institute of Law

Recognized by Bar Council of India, New Delhi. Letter No. BCI: D: 1116:2002 (LE. Mtg.) & 2429/2015 (LE)
Website: law.subharti.org, e-mail: law@subharti.org, Ph.: 0121-2439043, 3055000 (Extn: 2851, 2855), Telefax: 0121-2439067

A constituent college of

SWAMI VIVEKANAND SUBHARTI UNIVERSITY

(Established under U.P. Govt. Act no. 29 of 2008 and approved under section 2(f) of UGC Act 1956)

दिनांक–19/07/2024

(अति महत्वपूर्ण नोटिस)

विषयः– सत्र 2024–25 के छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन फार्म भरने के सम्बन्ध में।

सुभारती लॉ कॉलिज के सभी छात्र /छात्राओ का सूचित किया जाता है कि **अन्य पिछड़ा वर्ग** के छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया **20 जुलाई 2024** से समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ऑनलाईन माध्यम से वेबसाईट scholarship.up.gov.in द्वारा शुरू हो रही है। अतः इच्छुक छात्र एवं छात्राएँ अपना पंजीकरण कराकर/नवीनीकरण कराकर छात्रवृत्ति सत्र 2024–25 हेतु आवेदन कर सकते है।

अतः सभी छात्र एवं छात्राओ को अवगत कराया जाता है कि छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन फार्म में आधार कार्ड का नम्बर डालना अनिवार्य है। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अकादमिक सत्र 2023–24 में छात्रवृत्ति पूर्णतः आधार कार्ड के आधार पर है। जिसमें आधार कार्ड में अंकित आपका नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड का नम्बर, आधार कार्ड में दी गई जन्म तिथि का स्पष्ट मिलान होने पर आधार कार्ड लिंक बैक खाते में ही छात्रवृत्ति की धनराशि भेजी जायेगी तथा आवेदन प्रक्रिया का पूर्ण होने हेतु वन टाईम पासवर्ड (ओ0टी0पी0) उसी मोबाईल नम्बर पर समाज कल्याण द्वारा भेजा जायेगा जो मोबाईल नम्बर आधार कार्ड के साथ आपके बैक खाते के साथ लिंक होगा एवं दर्ज होगा। जिन छात्र /छात्राओ के छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन फार्म में सम्बन्धित दस्तावेज मे इनका नम्बर नही होगा वे फार्म स्वीकार नही किये जायेगे।

अतः सभी छात्र /छात्राओं को निर्देश दिया जाता है। छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म अन्तिम तिथि से पूर्व ऑनलाइन भरकर एवम् छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु श्री फिरोज खाँन (सहायक) सुभारती लॉ कॉलिज से समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रो के साथ वैक करा कर उसकी प्रति अद्योहस्ताक्षरी के पास जमा कराने का कष्ट करे।

यदि छात्र /छात्रा अपने छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म ऑनलाइन भरकर कॉलिज में नही जमा करते है, तब इस सन्दर्भ में कॉलिज अथवा विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करने अनिवार्य हैः–

I- हाईस्कूल की अंकतालिका तथा संनद की छायाप्रति।
II- इण्टरमिडिएट की अंकतालिका तथा संनद की छायाप्रति।
III- स्नातक की अंकतालिका की छायाप्रति।
IV- पिछली कक्षा की अंकतालिका की छायाप्रति।
V- जाति प्रमाण–पत्र छायाप्रति (तहसीलदार द्वारा) (जाति प्रमाण–पत्र इन्टरनेट की वेबसाइट पर प्रदर्षित होना चाहिये)। (ऑनलाइन जारी)
VI- सामान्य निवास प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (तहसीलदार द्वारा) (सामान्य प्रमाण–पत्र इन्टरनेट की वेबसाइट पर प्रदर्षित होना चाहिये)। (ऑनलाइन जारी)
VII- आय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (तहसीलदार द्वारा) (आय प्रमाण–पत्र इन्टरनेट की वेबसाइट पर प्रदर्षित होना चाहिये)। (ऑनलाइन जारी)
VIII- एडमिशन ऑफर लेटर।
IX- शुल्क बोनाफाइड सर्टिफिकेट की छायाप्रति।
X- बैंक पास बुक की अपडेटेड फोटो कापी।
XI- आधार कार्ड की छायाप्रति।
XII- माता–पिता के आधार कार्ड की छायाप्रति।

XIII- छात्र /छात्रा द्वारा जमा कराई गयी फीस की रसीद की छायाप्रति।
XIV- यादि दो कक्षाओं के बीच गैप है तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
XV- यादि छात्र हॉस्टल में है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गयी शुल्क की रसीद की छाया प्रति।
XVI- शपथ–पत्र।

❖ नोटः–

1. छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म भरने वाले छात्र /छात्राओं के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा सामान्य निवास प्रमाण पत्र इन्टरनेट पर छात्र /छात्राओं द्वारा भलि भांति चैक कर जमा कराने होगें।

2. जो छात्र केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, उन्ही के छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म स्वीकृत कियें जायेंगे।

scholarship.up.gov.in की वेबसाइट खोलने पर **Government Section** में **search student** कॉलम में जाकर छात्र /छात्रा की Details भरने पर छात्रवृत्ति की पात्रता चैक की जा सकती है।

अतः सभी से अनुरोध है कि छात्रवृत्ति पात्रता श्रेणी चैक करके ही फार्म सावधानी पूर्वक भरने का कष्ट करें। यदि किसी छात्र का फार्म शासन द्वारा अस्वीकृत होने की दशा में संस्थान की काई जिम्मेदारी नही होगी।

समस्त छात्र–छात्राओ को यह भी निर्देश दिया जाता है कि छात्रवृत्ति एवम् शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु सलग्नक छात्रो हेतु महत्वपूर्ण निर्देश सावधानीपूर्वक पढने के पश्चात् ही अपना छात्रवृत्ति एवम् शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म भरें एवम् आवश्यक रूप से **दिनांक 20 नवम्बर, 2024 (अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए) [नवीन–Fress छात्रो के लिये तथा नवीनीकरण–Renewal छात्रो के लिये]** तक जमा करा दे जिससे कि आपके छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म को कॉलिज/ विश्वविद्यालय द्वारा जल्द से जल्द अग्रसारित किया जा सके।

अपूर्ण एवम् त्रुटिपूर्ण छात्रवृत्ति एवम् शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म किसी भी दशा में कॉलिज द्वारा स्वीकार नही किया जायेगा एवम इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण द्वारा निरस्त किया गया छात्रवृत्ति एवम् शुल्क प्रतिपूर्ति फार्म की पूर्णतः जिम्मेदारी छात्र–छात्राओ की स्वयं की होगी।

❖ (नोटः–छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन फार्म भरने वाले समस्त छात्र /छात्राएँ संस्थान शुल्क भरते समय संलग्नक फीस प्रपत्र **(Fees Digital Locked by Institutions)** का अवलोकन कर शुल्क सम्बन्धित कॉलम में सावधानी पूर्वक भरने का कष्ट करें, किसी भी त्रुटि /फार्म निरस्त इस संदर्भ में होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नही होगी। अपरिपूर्ण एवम् गलत भरा हुआ आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में जमा /अग्रसारित नही किया जायेगा। छात्र /छात्रा इस संदर्भ में स्वयं जिम्मेदार होगें।

प्रो.(डॉ.) वैभव गोयल भारतीय
डीन–फैकल्टी ऑफ लॉ

छायाप्रति प्रेषित–

1. नोडल ऑफिसर छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूर्ति स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ, सूचनार्थ।
2. समस्त शिक्षक, फैकल्टी ऑफ लॉ, को छात्र/छात्राओ के सूचनार्थ।
3. नोटिस बोर्ड कॉलिज/ लाइब्रेरी/ एडमिशन सैल/ प्रथम तल कॉलिज/ द्वितीय तल कॉलिज।
4. विश्वविद्यालय वेब कोर्डिनेटर (लॉ कॉलिज की वेबसाइड के करेन्ट नोटिस Tab में Upload करने हेतु)।